क्रम-संख्या–187(ग)

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0–डब्लू0/एन0पी0 91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 23 जुलाई, 2013

श्रावण 1, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या जी-2–162/दस–2013-59-81

लखनऊ, 23 जुलाई, 2013

विज्ञप्ति

विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11(1) कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम 9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–2014 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01–4–2013 से 8.7 प्रतिशत (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। यह दर 01 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेगी।

आज्ञा से,

आनन्द मिश्र,

प्रमुख सचिव।

No. G-2–162/X–2013-59-81

Dated Lucknow, July 23, 2013

In accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh),Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 8.7% (eight point seven percent) with effect from 01-4-2013 during the Financial Year 2013-2014, on all accounts. This rate shall be in force during the Financial Year beginning on April 01, 2013.

By order,
ANAND MISRA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 323 राजपत्र (हि०)–2013–(669)–588 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 32 सा० वित्त–2013–(670)–1500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।